

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में, इस चिकित्सा महाविद्यालय में पी0जी0 कोर्स में नामांकन लेने वाले छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि एम0सी0आई0 के निदेशानुसार, उनके द्वारा नामांकन शुल्क इस महाविद्यालय के सरकारी खाता में **Online / Offline** जमा किया जाना है, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है :-

Account No. - 35666540166
IFSC Code - SBIN0010082
Branch Name - S. K. Medical College & Hospital Campus,
Uma Nagar, Muzaffarpur
Account Holder Name- Principal, S. K. Medical College,
Muzaffarpur
Admission Fee - 9800/- (Nine thousand Eight hundred Rs.)

Note:

- 1) नामांकन लेने वाले संबंधित छात्र/छात्राओं को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के निदेशानुसार, फाईनल नामांकन लेने के उपरान्त सीट छोड़ने की स्थिति में, उनके द्वारा 15,00,000/- (पन्द्रह लाख रू0) एवं Stipend के रूप में प्राप्त किए गए राशि, एक मुश्त संस्थान को वापस लौटाना होगा ।
- 2) कोर्स पूर्ण होने के उपरान्त बिहार राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में तीन वर्ष सेवा नहीं देने की स्थिति में, संबंधित छात्र/छात्राओं के द्वारा 25,00,000/- (पच्चीस लाख रू0) सहित महाविद्यालय द्वारा Stipend के रूप में प्राप्त किए गए राशि, एक मुश्त संस्थान को वापस लौटाना होगा ।
- 3) उक्त से संबंधित बंध-पत्र (Bond Paper) नामांकन के समय ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 4) अन्य जानकारी के लिए Email ID- principalskmcmuzaffarpur पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

ह0/-
प्राचार्य

ज्ञापांक:- 1002/20
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 9/4/2020

1. नामांकन प्रभारी पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
2. आई0टी0 सेक्शन को कॉलेज वेबसाईट पर अपलोड करने हेतू सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कॉलेज/छात्र शाखा सूचना पट्ट ।

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

Bond Paper

55

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक- 15 / 04 / 2017

विषय:- राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के पी0जी0 छात्रों द्वारा कोर्स बीच में छोड़ने की स्थिति में बंधेज राशि अधिरोपित करने एवं पी0जी0 उत्तीर्ण होने के उपरान्त राज्य में तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु बंध-पत्र (Bond) हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था लागू करने के संबंध में।

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 कोर्स में नामांकन लेने के पश्चात् कई छात्र अपना कोर्स बीच में छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उन विषयों की सीटें रिक्त रह जाती है। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी बनी रहती है।

2- उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के चिकित्सा शिक्षा में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है-

(i) राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 में नामांकन लेने वाले छात्रों से यह बंध-पत्र (Bond) लिया जायेगा कि नामांकन के पश्चात् पाठ्यक्रम छोड़ने पर उन्हें 15 (पन्द्रह) लाख रुपये तथा इस अवधि में छात्रवृत्ति (Stipend) के रूप में प्राप्त सभी राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।


(ii) पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात् भी तीन वर्षों की आवश्यक सेवा राज्य सरकार के अधीन करने की बाध्यता होगी। तीन वर्षों की आवश्यक सेवा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उन्हें 25 (पच्चीस) लाख रुपये तथा इस अवधि में प्राप्त वेतन की राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।

3- एतद् विषयक बंध-पत्र (Bond) नये छात्रों से नामांकन के समय ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा ले लिया जायेगा। वर्तमान में जो नामांकित हैं, उनसे संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा बंध-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्राचार्य, बंध-पत्र सम्पादन के उपरान्त ही छात्रों के छात्रवृत्ति/मानदेय का भुगतान करेंगे। बंध-पत्र (Bond) के साथ छात्रों से उनके एम0बी0बी0एस0 से संबंधित अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र आदि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सुरक्षित रखे जायेंगे। इसी प्रकार पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्रों को एम0बी0बी0एस0 से संबंधित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त पी0जी0 से संबंधित अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र आदि भी, तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि तक के लिए, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् अथवा निर्धारित बंधेज राशि जमा करने के पश्चात् ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल द्वारा इन्हें वापस किया जायेगा।

4- यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



15.4.17
(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमशः

ज्ञापांक:-1/विविध-58/2015-450(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 15/04/2017

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संलग्न की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें।


15.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-58/2015-450(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 15/04/2017


प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अपर निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/उप निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-58/2015-450(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 15/04/2017


प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, नामांकन पर्यवेक्षण समिति, बिहार, पटना/अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-58/2015-450(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 15/04/2017

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव